



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 1062 /म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/स्थापना/भोपाल

//आदेश//

दिनांक 20/6/22

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 176 वीं सभा की बैठक दिनांक 15.06.2022 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में मालवाचंल विश्वविद्यालय, इन्दौर के मुख्य परिसर में स्थित कृषि संकाय के अंतर्गत बी.एस.सी. एग्रीक्लचर (आनर्स) पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से तालिका में दर्शित सीट संख्या के अनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र से संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती हैं।

क्रं.	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या	शैक्षणिक सत्र
1.	बी.एस.सी. एग्रीक्लचर (आनर्स)	240	2022-23

शर्तें:-

- आई.सी.आर./ यू.जी.सी से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रम को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु यू.जी.सी एवं आई.सी.आर के मापपदों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु यू.जी.सी एवं आई.सी.आर की गाईडलाइन के अनुसार दिये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली से निर्धारित की गई गाईडलाइन/मापपदों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल के द्वारा समय - समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक परिषदों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त कराना होगा।
- यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित मूल्यांकन विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित कराना होगा।
- पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा.अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

(डा. के.पी. साहू)
सचिव

म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पु.क्रमांक..... /स्थापना/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/2021-22भोपाल
प्रतिलिपि-

- निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
- कुलसचिव, मालवाचंल विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- मूल नस्ति।
- गार्ड फाइल।

सचिव

म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल